अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 19/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 122(अ), तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं0 39 के सामने स्तंभ (3) में, "सभी माल" शब्दों के पश्चात् "मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन है, के चार्जर या एडेप्टर, बैटरी और तारयुक्त हैडसेट और स्पीकर भी हैं और सौर पायित कांच या सौर पायित (परावर्तक-रोधी लेपित) कांच हैं" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.122(अ) तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं.11/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, सा.का.नि. सं. 458(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।